




सत्यमेव जयते

**सूचना पुस्तिका 2020**  
**INFORMATION BOOKLET 2020**



**शर्करा विकास निधि/SUGAR DEVELOPMENT FUND (SDF)**  
**खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग/DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION**  
**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**  
**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**  
**भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA**



## विषय सूची

|       |                                                                                             |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.0   | प्रस्तावना.....                                                                             | 5  |
| 2.0   | स्कीमें.....                                                                                | 5  |
| 2.1.1 | सामान्य पात्रता शर्तें.....                                                                 | 6  |
| 2.1.2 | आधुनिकीकरण पुनर्वास:विशेष पात्रता/शर्तें.....                                               | 6  |
| 2.1.3 | गन्ना विकास: विशेष पात्रता शर्तें.....                                                      | 7  |
| 2.1.4 | एल्कोहल या शीरे से एनहाइड्रस एल्कोहल या इथेनोल का उत्पादन:<br>विशेष पात्रता शर्तें.....     | 7  |
| 2.1.5 | विद्यमान इथेनोल प्लांट का जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में परिवर्तन:<br>विशेष पात्रता शर्तें..... | 8  |
| 2.1.6 | खोई आधारित को-जनरेशन पावर परियोजना: विशेष पात्रता शर्तें.....                               | 9  |
| 3.0   | एसडीएफ ऋणों की चेक लिस्ट.....                                                               | 9  |
| 4.0   | ब्याज दर .....                                                                              | 11 |
| 5.0   | निधियम प्रतिमान .....                                                                       | 12 |
| 6.0   | एसडीएफ ऋण की पात्र राशि की मूल्यांकन.....                                                   | 12 |
| 7.0   | एसडीएफ ऋणों के लिए मूल्यांकन मानदंड: .....                                                  | 15 |
| 8.0   | एसडीएफ ऋण देने हेतु प्रक्रिया.....                                                          | 15 |
| 9.0   | निर्धारित परिसंपत्ति कवरेज अनुपात ... (एफएसीआर).....                                        | 20 |
| 10.0  | ऋण सेवा कवरेज अनुपात ..... (डीएससीआर).....                                                  | 21 |
| 11.0  | चीनी विकास निधि ऋण के वितरण के मानदंड.....                                                  | 22 |
| 12.0  | एसडीएफ ऋणों के पुर्नभुगतान की अनुसूची.....                                                  | 23 |
| 13.0  | डिफाल्ट तथा वसूली.....                                                                      | 24 |
| 14.0  | चार्ज सौंपने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र.....                                               | 24 |
| 15.0  | अदेय प्रमाण पत्र तथा चार्ज छोड़ना.....                                                      | 25 |
| 16.0  | विविध .....                                                                                 | 27 |

# Table of Contents

|        |                                                                                                           |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.0    | Introduction .....                                                                                        | 29 |
| 2.0    | Schemes .....                                                                                             | 29 |
| 2.1.1. | General Eligibility Conditions....                                                                        | 29 |
| 2.1.2. | Modernisation/Rehabilitation: Specific Eligibility Conditions.....                                        | 30 |
| 2.1.3. | Cane Development: Specific Eligibility Conditions.....                                                    | 30 |
| 2.1.4. | Production of Anhydrous Alcohol or Ethanol from Alcohol or Molasses: Specific Eligibility Conditions..... | 30 |
| 2.1.5. | Conversion of existing Ethanol Plant into Zero Liquid Discharge: Specific Eligibility Conditions .....    | 31 |
| 2.1.6. | Bagasse based Co-Generation Power Project: Specific Eligibility Conditions.....                           | 31 |
| 3.0    | Check List for SDF Loans .....                                                                            | 32 |
| 4.0    | Rate of Interest .....                                                                                    | 33 |
| 5.0    | Funding Pattern .....                                                                                     | 33 |
| 6.0    | Calculation of the Eligible Amount of SDF Loan: .....                                                     | 33 |
| 7.0    | Evaluation Criteria for SDF Loans:.....                                                                   | 35 |
| 8.0    | Procedure for granting SDF loan.....                                                                      | 36 |
| 9.0    | Fixed Assets Coverage Ratio (FACR).....                                                                   | 38 |
| 10.0   | Debt Service Coverage Ratio (DSCR).....                                                                   | 39 |
| 11.0   | Norms for Disbursement of SDF loans.....                                                                  | 39 |
| 12.0   | Repayment Schedule of SDF loans.....                                                                      | 40 |
| 13.0   | Default and Recovery.....                                                                                 | 41 |
| 14.0   | NOC for ceding of charge.....                                                                             | 41 |
| 15.0   | No Dues Certificate and Vacation of Charge .....                                                          | 42 |
| 16.0   | Miscellaneous.....                                                                                        | 43 |

## चीनी विकास निधि: सूचना पुस्तिका

### 1.0 प्रस्तावना

1.1 चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के अधीन चीनी विकास निधि नियम, 1983 में तैयार किए गए थे जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है। चीनी विकास निधि में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- क. चीनी उपकर अधिनियम, 1982 (यथा संशोधित) के अधीन एकत्रित चीनी उपकर की राशि;
- ख. चीनी विकास निधि अधिनियम के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त की गई राशि; और
- ग. ऐसी राशि के निवेश से होने वाली कोई आय।

1.2 दिनांक 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू करने के बाद चीनी उप कर समाप्त कर दिया गया था। फिलहाल ऋण वितरण सहित निधियों की सभी आवश्यकताएं प्रत्येक वर्ष बजटीय प्रावधान के अनुसार भारत की समेकित निधि से सीधे पूरी की जा रही हैं।

### 2.0 स्कीमें

चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 और चीनी विकास निधि नियम, 1983 (यथा संशोधित) के अधीन निम्नलिखित 5 स्कीमों के लिए चीनी कारखानों को ऋण प्रदान किए जाते हैं:

- क. चीनी कारखाने का आधुनिकीकरण और विस्तार (नियम 16 और 16 क)
- ख. गन्ना विकास (नियम 17 और 17 क)
- ग. एल्कोहल अथवा शीरे से एनहाइड्रस एल्कोहल अथवा इथेनोल का उत्पादन करना (नियम 22)
- घ. मौजूदा संयंत्र को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र में परिवर्तित करना (नियम 22 क)
- ड. खोई आधारित सह उत्पादन विद्युत परियोजना (नियम 23)

चीनी विकास निधि के ऋण कार्यशील पूंजी के लिए, वर्तमान परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अथवा चीनी कारखाने द्वारा लिए गए ऋण का पुनर्वित्त पोषण करने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं।

### 2.1.1 सामान्य पात्रता शर्तें

कोई भी चीनी कारखाना चीनी विकास निधि ऋण लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा:-

- क. कोई भी चीनी कारखाना/उपक्रम जो चीनी विकास निधि, लेवी देयता लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि के खाते पर किसी देयता के संबंध में चूक करता है वह चीनी विकास निधि ऋण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- ख. उस अवधि के दौरान एक ही प्रयोजन के लिए कोई ऋण नहीं दिया जा सकता है, जिसमें उसी प्रयोजन के लिए पिछला ऋण बकाया हो।
- ग. चीनी कारखाने को आवेदन किए गए ऋण का न्यूनतम 10% प्रवर्तक के अंशदान/मार्जिन राशि के रूप में अपने स्रोत से अंशदान करना अपेक्षित होगा।
- घ. चीनी कारखाना निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आवेदन (आधुनिकीकरण, खोई आधारित सह उत्पादन, अल्कोहल अथवा शीरे से इथेनॉल का उत्पादन और मौजूदा संयंत्र को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र में परिवर्तित करने के लिए आवेदन) करने हेतु पात्र नहीं होगा:-
  - i. पुराने उपकरण और मशीनरी की खरीद
  - ii. पुनर्वित्त पोषण
  - iii. बड़ी हुई लागतों का वित्तपोषण
  - iv. इन नियमों के अधीन आवेदन करने की तारीख से पहले स्वीकृत परियोजना

### 2.1.2 आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन: विशिष्ट पात्रता शर्तें

चीनी विकास निधि अधिनियम 1983 (नियम 16 और 16 क) के अधीन किसी चीनी कारखाने अथवा उसकी किसी यूनिट का आधुनिकीकरण सुगम बनाने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। आधुनिकीकरण के लिए ऋण को शासित करने वाली शर्तें निम्नलिखित हैं:-

- क. यह परियोजना आधुनिकीकरण हेतु सहायता के लिए अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
- ख. ऋण की राशि प्रवर्तक के अंशदान के रूप में चीनी उपक्रम द्वारा अनुदान किए जाने हेतु बैंक वित्तीय/संस्थान द्वारा अपेक्षित राशि से अधिक नहीं होगी।
- ग. एकीकृत परियोजना, अर्थात् सह-उत्पादन अथवा इथेनॉल परियोजना के साथ

क्षमता का विस्तार करने के लिए ऋण के आवेदन के मामले में, परियोजना का विस्तार करने के लिए अपेक्षित कच्चा माल प्राप्त करने / आर्थिक व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए केवल 5000 टीसीडी तक वित्तपोषण किया जाएगा। तथापि, खोई आधारित सह-उत्पादन परियोजना का क्षमता विस्तार/स्थापना अथवा इथेनॉल के लिए परियोजना हेतु आवेदन को तभी प्रोसेस किया जाएगा जब क्षमता विस्तार से सह-उत्पादन/इथेनॉल परियोजना की लागत को पृथक करना संभव होगा।

### 2.1.3 गन्ना विकास: विशिष्ट पात्रता शर्तें

चीनी विकास निधि नियम 1983 (नियम 17 और 17 क) के अधीन उस क्षेत्र में गन्ना विकास के लिए चीनी कारखाने को ऋण प्रदान किया जाता है जिसमें कोई चीनी कारखाना स्थित होता है। चीनी विकास निधि ऋण निम्नलिखित परियोजना में से किसी एक अथवा अधिक के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर चीनी कारखाने को प्रदान किया जाता है:

- क. हीट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना
- ख. बीज नर्सरिया तैयार करना
- ग. सिंचाई स्कीम (केवल ड्रिप सिंचाई)

गन्ना विकास के लिए ऋण को शासित करने वाली शर्तें निम्नलिखित हैं:-

- क. ऋण आवेदन उस राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना होता है जिसमें कोई चीनी कारखाना स्थित होता है। राज्य सरकार आवेदन की जांच करने के उपरांत इसे अपनी टिप्पणियों और सिफारिशों सहित चीनी विकास निधि के अधीन स्थायी समिति के सदस्य-सचिव को अग्रेषित करेगी।
- ख. इस स्कीम के अधीन ऋण की राशि की अधिकतम सीमा 540 लाख रुपए (परियोजना की अधिकतम 600 लाख रुपए की लागत का 90%) है

### 2.1.4 अल्कोहल अथवा शीरे से अनहाइड्रेस अल्कोहल अथवा इथेनॉल का उत्पादन: विशिष्ट पात्रता शर्तें

चीनी विकास निधि नियम 1983 (नियम 22) के अधीन उस चीनी कारखाने को अपनी व्यवहार्य में सुधार करने के लिए अल्कोहल अथवा शीरे से अनहाइड्रेस अल्कोहल अथवा इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है जिसकी संस्थापित क्षमता 2500 टीसीडी अथवा उससे अधिक हो। अल्कोहल अथवा शीरे से अनहाइड्रेस अल्कोहल या इथेनॉल के लिए ऋण को शासित करने वाली शर्तें निम्नलिखित हैं:-

- क. यह परियोजना अल्कोहल से एनहाइड्रेस अल्कोहल अथवा इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
- ख. इसके अलावा, किसी उपक्रम के किसी चीनी कारखाने, जिसकी संस्थापित क्षमता 2500 टन पेराई प्रति दिवस से कम हो, परंतु 1250 टन पेराई प्रति दिवस से कम न हो, के सह-उत्पादन संयंत्र अथवा इथेनोल संयंत्र से जुड़ी आधुनिकीकरण-सह-विस्तार परियोजना भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन पात्र हैं:-
- i. चीनी कारखाने द्वारा ऐसी परियोजना के लिए आवेदन किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान को प्रस्तुत किया जाए।
  - ii. ऐसी प्रत्येक परियोजना में बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का मूल्यांकन प्राधिकारी प्रमाणित करता है कि चीनी कारखाने द्वारा प्रस्तुत परियोजना 2500 टीसीडी से कम क्षमता वाले ऐसे चीनी कारखाने के लिए वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य है।
  - iii. ऐसी परियोजना का राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन किया जाएगा और उसने प्रमाणित किया हो कि यह परियोजना तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य है।
  - iv. चीनी विकास निधि ऋण के लिए चीनी कारखाने अथवा चीनी उपक्रम द्वारा राज्य सरकार की गारंटी प्रस्तुत की गई हो।

#### 2.1.5 मौजूदा इथेनॉल संयंत्र को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में परिवर्तित करना: विशिष्ट पात्रता शर्तें

चीनी विकास निधि नियम 1983 (धारा 22 क) के अधीन उस चीनी कारखाने में अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी स्थापित करके मौजूदा इथेनॉल संयंत्र को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में परिवर्तित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है जिसकी संस्थापित क्षमता 2500 टीसीडी अथवा उससे अधिक हो। अल्कोहल अथवा शीरे से एनहाइड्रेस अल्कोहल या इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए लागू शर्तों के अनुसार यह ऋण शासित होता है। इसके अलावा, किसी उपक्रम के किसी चीनी कारखाने, जिसकी संस्थापित क्षमता 2500 टन पेराई प्रति दिवस से कम हो, परंतु 1250 टन पेराई प्रति दिवस से कम न हो, के सह-उत्पादन संयंत्र अथवा इथेनोल संयंत्र से जुड़ी



आधुनिकीकरण-सह-विस्तार परियोजना भी निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन पात्र हैं बशर्ते वे उपर्युक्त पैरा 2.3.3 (ख) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हैं।

### 2.1.6 खोई आधारित सह उत्पादन विद्युत परियोजना: विशिष्ट पात्रता शर्तें

चीनी विकास निधि नियम 1983 (नियम 23) के अधीन उस चीनी कारखाने को खोई आधारित सह उत्पादन विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ऋण प्रदान किया जाता है जिसकी संस्थापित क्षमता 2500 टीसीडी अथवा उससे अधिक हो। खोई आधारित सह उत्पादन विद्युत परियोजना के लिए ऋण को शासित करने वाली शर्तें निम्नलिखित हैं-

- क. चीनी कारखाने की संस्थापित क्षमता 2500 टीसीडी अथवा उससे अधिक होनी चाहिए।
- ख. यह परियोजना खोई आधारित सह उत्पादन विद्युत परियोजना के लिए सहायता हेतु अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
- ग. परियोजना में सह उत्पादित विद्युत के लिए विपणन योग्य अधिशेष का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- घ. सह उत्पादन विद्युत के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं को भी निर्यात योग्य अधिशेष की सीमा तक चीनी विकास निधि से वित्त पोषित किया जा सकता है। तथापि चीनी कारखाने द्वारा चीनी का उत्पादन शुरू करने के उपरांत ही निधियां जारी की जाएंगी।
- ङ. इसके अतिरिक्त किसी उपक्रम के किसी चीनी कारखाने, जिसकी स्थापित क्षमता 2500 टन पेराई प्रति दिवस से कम हो लेकिन 1250 टन पेराई प्रति दिवस से कम न हो वे भी सह उत्पादन संयंत्र अथवा इथेनोल संयंत्र के साथ एकीकृत आधुनिकीकरण सह विस्तार परियोजना के लिए पात्र हैं लेकिन इसके लिए उपर्युक्त पैरा 2.3.3 (ख) में उल्लिखित शर्तें लागू होंगी।

## 3.0 चीनी विकास निधि ऋण के लिए जांच सूची

3.1 एसडीएफ अधिनियम, 1982 के अंतर्गत सभी ऋण स्कीमों के लिए निम्नलिखित शर्तें भी पूरी की जानी हैं:

- क. एसडीएफ पोर्टल [<https://sdfportal.in>] के जरिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए

- ख. चीनी विकास निधि देयता अथवा लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि देयता की कोई लेवी देयता बकाया नहीं होनी चाहिए (शर्करा निदेशालय के रिकॉर्ड के अनुसार)।
- ग. आवेदन मूल दस्तावेजों और निर्धारित प्रपत्र में अतिरिक्त सूचना के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि अपेक्षित दस्तावेजों के बिना कोई आवेदन प्राप्त होता है तो आवेदन वापस कर दिया जाएगा।

3.2.1 चीनी विकास निधि ऋण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय स्कीम वार मूल अपेक्षित दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

**क. आधुनिकीकरण/पुनर्वास:**

- क. अनुबंध-I तथा अनुबंध-II के साथ आवेदन प्रपत्र ॥
- ख. तकनीकी व्यवहार्य रिपोर्ट के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)।
- ग. किसी अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट।
- घ. अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा जारी मंजूरी पत्र (आशय पत्र) (अंग्रेजी/हिंदी)।
- ङ. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन क्लीयरेंस से अनापत्ति के लिए आवेदन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पावती।

**ख. गन्ना विकास स्कीम:**

- क. आवेदन प्रपत्र-III।
- ख. स्कीम परियोजना दस्तावेज
- ग. राज्य सरकार की सिफारिश और सभी दस्तावेज अग्रेषित करते हुए राज्य सरकार का पत्र

**ग. खोई आधारित से उत्पादन विद्युत परियोजना स्थापित करना**

- क. आवेदन प्रपत्र V III और इसके अनुबंध
- ख. तकनीकी व्यवहार्य रिपोर्ट के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)।
- ग. किसी अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट।
- घ. अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा जारी मंजूरी पत्र (आशय पत्र) (अंग्रेजी/हिंदी)।
- ङ. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन क्लीयरेंस से अनापत्ति के लिए आवेदन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पावती।

च. संबंधित राज्य सरकार के साथ विद्युत क्रय करार यदि कोई हो।

घ. अल्कोहल अथवा शीरे से एनहाइड्रस अल्कोहल अथवा इथेनॉल संयंत्र की स्थापना

क. आवेदन प्रपत्र V II और इसके अनुबंध

ख. तकनीकी व्यवहार्य रिपोर्ट के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)।

ग. किसी अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट।

घ. अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा जारी मंजूरी पत्र (आशय पत्र) (अंग्रेजी/हिंदी)।

ड. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन क्लियरेंस से अनापत्ति के लिए आवेदन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पावति।

ड. मौजूदा इथेनॉल संयंत्र को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में परिवर्तित करना

क. आवेदन प्रपत्र V II ए और इसके अनुबंध

ख. तकनीकी व्यवहार्य रिपोर्ट के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)।

ग. किसी अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट।

घ. अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा जारी मंजूरी पत्र (आशय पत्र) (अंग्रेजी/हिंदी)।

ड. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन क्लियरेंस से अनापत्ति के लिए आवेदन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पावति।

#### 4.0 चीनी विकास निधि ऋण के लिए ब्याज दर

4.1 चीनी विकास निधि ऋण पर बैंक दर (समय-समय पर यथा संशोधित) से 2% कम ब्याज की रियायती दर लागू होती है। ब्याज की दर स्थायी होती है और बैंक दर में परिवर्तन होने के साथ-साथ इसमें परिवर्तन नहीं होता है। बैंक दर को ऋण के वितरण की तारीख पर माना जाता है। पुनर्संचित ऋण के मामले में ब्याज दर में परिवर्तन हो सकता है। यदि ऋण की राशि के पुनर्भुगतान अथवा इसकी किसी किस्त के भुगतान या इस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक होती है तो चूककर्ता चीनी कारखाने द्वारा चीनी विकास निधि ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज के अलावा 4% प्रतिवर्ष की दर (7 अगस्त 2020 से 4% की दर पूर्व में 6% की दर) लागू होगी। केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुसार बिना किसी पूर्व सूचना के अतिरिक्त ब्याज दर में परिवर्तन किया जा सकता है।

#### 5.0 वित्त पोषण पैटर्न

5.1 ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए सभी प्रकार के ऋणों (गन्ना विकास ऋण को छोड़कर) के लिए चीनी विकास निधि ऋण का विशिष्ट वित्त पोषण पैटर्न निम्नानुसार लागू होता है:

- क. अनुसूचित बैंक/वित्तीय संस्थान - कुल परियोजना लागत का 50%
- ख. प्रवर्तक का अंशदान - कुल परियोजना लागत का 10%
- ग. चीनी विकास निधि घटक - पात्र परियोजना लागत का 40%

5.2 तथापि जहां स्वामी का अंशदान/इक्विटी 10% से अधिक हो जाती है वहां चीनी विकास निधि ऋण के घटक में तदनरूपी कमी होगी। ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के संबंध में उत्पादन और इथेनॉल परियोजनाओं के लिए चीनी विकास निधि का अंशदान पात्र परियोजना लागत का 20% है।

5.3 गन्ना विकास के संबंध में प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

- क. चीनी विकास निधि स्कीम की कुल लागत का 90% बशर्ते कि अधिकतम परियोजना लागत 600 लाख रुपए हो।
- ख. चीनी उपक्रम: स्कीम की कुल लागत का न्यूनतम 10%

## 6.0 चीनी विकास निधि ऋण की पात्र राशि की गणना

### 6.1 आधुनिकीकरण/पुनर्वास ऋण

6.1.1 आरंभ में पात्र परियोजना लागत की गणना कुल परियोजना लागत में से अपात्र मदों की लागत घटाकर की जाती है। (नीचे खंड 6 का संदर्भ लें)

6.1.2 निम्नलिखित तीन मामलों में कुल पात्र ऋण की राशि अनुमानित ऋण राशि में न्यूनतम होती है:

| पात्र परियोजना लागत के अनुसार                                                               | चीनी उपक्रम द्वारा मांगी गई ऋण की राशि         | प्रवर्तक के अंशदान के प्रतिशत के अनुसार                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चीनी विकास निधि ऋण पात्र परियोजना लागत का 40% है (ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के मामले में 20%)। | चीनी उपक्रम द्वारा अनुरोध की गई ऋण की कुल राशि | प्रवर्तक के अंशदान की गणना वास्तविक के अनुसार पात्र लागत के आधार पर की जाती है। प्रवर्तक का अंशदान चीनी विकास निधि ऋण के घटक में से घटाया जाता है। (ब्राउनफील्ड के मामले में 40% और ग्रीन फील्ड के |

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  |  | मामले में 20%)। |
|--|--|-----------------|

## 6.2 गन्ना विकास ऋण

6.2.1 निम्नलिखित दो मामलों में कुल पात्र ऋण की राशि अनुमानित ऋण राशि की न्यूनतम है:

| पात्र परियोजना लागत के अनुसार                                                | मात्रात्मक सीमा के अनुसार                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| स्कीम की कुल लागत का 90%, बशर्ते कि अधिकतम परियोजना लागत 6.00 करोड़ रुपए हो। | कुल ऋण राशि की गणना नीचे उल्लिखित निर्धारित मात्रात्मक सीमा के अनुसार की जाती है |

| क्र.सं. | स्कीम                                                 | वित्तीय सीमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | हीट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना                     | 2.50 लाख रुपये                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.      | बीज नर्सरियां तैयार करना                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | क) परंपरागत गन्ना सैट के जरिए फाउंडेशन बीज            | प्रथम वर्ष: अधिकतम पांच हेक्टेयर की शर्त के अर्धधीन 30,000.00 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर पर।<br>द्वितीय वर्ष: 30,000.00 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर पर उत्तरी राज्यों के लिए 8 और दक्षिणी राज्यों के लिए 10 के गुणक घटक के साथ                                                                                          |
|         | ख) टिशू कल्चर प्लांटलेट्स से बीज नर्सरियां तैयार करना | प्रथम वर्ष: अधिकतम दो हेक्टेयर की शर्त के अर्धधीन 80,000.00 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर पर<br>द्वितीय वर्ष: 80,000.00 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर पर 40 के गुणक घटक के साथ<br>सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीज खरीदे जाएंगे - वीआईएस, पुणे, एसबीआई, कोयम्बटूर विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध संस्थानों से की जाएगी। |
|         | ग) प्रमाणित बीज                                       | 26,000.00 रुपये प्रति हेक्टेयर                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 6.3 इथेनॉल और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज

6.3.1 आरंभ में पात्र परियोजना लागत की गणना कुल परियोजना लागत में से अपात्र मदों की लागत घटाकर की जाती है। (नीचे खंड ण का संदर्भ लें)

6.4 सह-उत्पादन ऋण: ऊपर उल्लिखित पैरा 6.2.2 के तीन मामलों में कुल पात्र ऋण की राशि अनुमानित ऋण राशि में न्यूनतम होती है:

6.4.1 आरंभ में पात्र परियोजना लागत की गणना कुल परियोजना लागत में से अपात्र मदों की लागत घटाकर की जाती है। (नीचे खंड ण का संदर्भ लें)

6.4.2 निम्नलिखित तीन मामलों में कुल पात्र ऋण की राशि अनुमानित ऋण राशि में न्यूनतम होती है:

| पात्र परियोजना लागत के अनुसार                                                    | मानक परियोजना लागत के अनुसार                                              | चीनी उपक्रम द्वारा मांगी गई ऋण की राशि                                                                    | प्रवर्तक के अंशदान के प्रतिशत के अनुसार                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चीनी विकास निधि ऋण पात्र परियोजना लागत का 40% है (ग्रीन फील्ड के मामले में 20%)। | मानक परियोजना लागत के अनुसार प्रति एम डब्ल्यू का उल्लेख नीचे किया गया है। | चीनी उपक्रम द्वारा अनुरोध की गई ऋण की कुल राशि (एसडीएफ ऋण के अनुपात में सेनवेट क्रेडिट समायोजन के उपरांत) | प्रवर्तक के अंशदान की गणना वास्तविक के अनुसार पात्र लागत के आधार पर की जाती है। प्रवर्तक का अंशदान चीनी विकास निधि ऋण के घटक में से घटाया जाता है। (ब्राउनफील्ड के मामले में 40% और ग्रीन फील्ड के मामले में 20%)। |

| बायलर प्रेशर (एटीए) | प्रति मेगावाट उत्पादन की सांकेतिक लागत (लाख रुपये प्रति मेगावाट) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 67 से कम            | पात्र नहीं                                                       |
| 67 से 86            | 385.00                                                           |
| 87 से 109           | 442.00                                                           |
| 110 और उससे अधिक    | 543.00                                                           |

एसडीएफ पत्र 7-14/2015-एसडीएफ दिनांक 23.02.2016

6.5 आधुनिकीकरण/विस्तार, सह-उत्पादन, इथेनोल और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज परियोजनाओं के लिए चीनी विकास निधि ऋण मंजूर करने के लिए अपात्र मंदों की उदाहरणात्मक सूची अनुबंध-1 में दी गई है।

## 7.0 चीनी विकास निधि ऋण के लिए मूल्यांकन मापदंड:

7.1 नियम 16, 16 क 17, 17 क, 22, 22 क और 23 के अधीन स्कीमों के लिए चीनी विकास निधि ऋण हेतु सामान्य मापदंड निम्नानुसार हैं:-

- क. सहकारी समिति अथवा फर्म के पास चीनी कारखाने के लिए संयंत्र कोड होना चाहिए अथवा आईईएम नंबर के लिए आवेदन किया होना चाहिए। ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के मामले में ऋण का संवितरण संयंत्र कोड के आवंटन के उपरांत और कारखाने में चीनी उत्पादन शुरू होने के उपरांत ही किया जाएगा।
- ख. कोई लेवी चीनी देयता, लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि देयता अथवा चीनी विकास निधि देयता बकाया नहीं होनी चाहिए।
- ग. चीनी विकास निधि के एक ही नियम के अधीन कोई ऋण बकाया नहीं होना चाहिए एक ही समय में एक ही नियम के अधीन एक ही चीनी कारखाने के लिए दो ऋण मंजूर नहीं किए जाएंगे।

- घ. परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बिना शर्त यह पुष्टि करती हो कि परियोजना तकनीकी रूप से और वित्तीय रूप से व्यवहार्य है। अनुमानित भौतिक और वित्तीय पैरामीटरों के लिए विधिवत औचित्य दिया जाना चाहिए और यह उद्योग के मानकों के साथ तुलना करने योग्य होना चाहिए।
- ङ. संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और आइए क्लीयरेंस के लिए आवेदन किया होना चाहिए। ऋण की राशि का वितरण होने से पूर्व क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- च. भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी आदि सहित सभी परिसंपत्तियां, जिन्हें बंधक रखा जाना है, मुकदमे से मुक्त होने की जरूरत है तथा चीनी कारखाने/उपक्रम को परिसंपत्तियों का मालिकाना हक स्पष्ट करना चाहिए।
- छ. चीनी कारखाना/उपक्रम वित्तीय रूप से कमजोर नहीं होना चाहिए। वित्तीय रूप से कमजोर कारखानों/उपक्रमों के लिए ऋण के प्रावधान हेतु कृपया नीचे पैरा 8.2 का संदर्भ लें। अन्य शब्दों में चीनी कारखाने पर निम्नलिखित वित्तीय कोई बाधा नहीं होनी चाहिए:

- I. पिछले किसी भी तीन वर्ष में कर उपरांत लाभ नकारात्मक न हो।
- II. चीनी कारखाने अथवा समग्र रूप में कंपनी के लिए पिछले किसी भी तीन वर्ष में नेटवर्थ नकारात्मक न हो।
- III. मौजूदा नियमों/दिशा-निर्देशों/आवश्यकता के अनुसार प्रभार सृजन के समय अथवा किसी अन्य समय पर धारित आय नकारात्मक हो।
- IV. पिछले पांच वर्षों के लिए औसत ऋण भुगतान कवरेज अनुपात 1.0 से अधिक होना चाहिए।
- V. चीनी कारखाने अथवा समग्र रूप में कंपनी के लिए निर्धारित परिसंपत्ति कवरेज अनुपात 1.33 से अधिक होना चाहिए। (नीचे खंड 9 का संदर्भ लें)।
- V I. वित्तीय कानूनों और कंपनी अधिनियम 2013 (यथासंशोधित) अथवा सहकारी समिति अधिनियम, जैसा भी मामला हो, का अनुपालन।
- V II. चीनी कारखाने/उपक्रम की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला कोई अन्य घटक।

## 8.0 चीनी विकास निधि ऋण मंजूर करने के लिए प्रक्रिया

8.1 व्यापक रूप से चीनी विकास निधि ऋण मंजूर करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:



- क. सभी पहलुओं के अनुरूप पूर्ण ऋण हेतु आवेदन एसडीएफ पोर्टल [https://sdfportal.in] पर आवेदन फार्म आवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
- ख. चीनी विकास निधि प्रभाग आवेदन की पूर्णता और स्थापित पैरामीटरों के अनुसार मूल अनुपालन हेतु ऋण आवेदन की जांच करेगा।
- ग. ऋण आवेदन पर संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित उप समिति/जांच समिति (गन्ना विकास ऋण आवेदन हेतु) द्वारा विचार किया जाएगा। यह समिति यदि विचार करने हेतु आवेदन उपलब्ध होंगे तो वर्ष में प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक करेगी।
- घ. उप समिति/जांच समिति की सिफारिशों पर सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति द्वारा विचार किया जाएगा। यह समिति यदि विचार करने हेतु आवेदन उपलब्ध होंगे तो वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक करेगी। यह सिफारिशें अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाती हैं।
- ङ. मंजूरी का **प्रशासनिक अनुमोदन (एए)** संबंधित चीनी कारखाने को भेजा जाता है। ऐसे सभी मामलों में जहां प्रशासनिक अनुमोदन जारी करने के लिए स्थायी समिति द्वारा शर्तें लगाई गई हो, स्थायी समिति के कार्यवृत्त जारी करने से छह माह की समय सीमा होगी, जिसके अंदर चीनी कारखाने को कार्यवृत्त के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन जारी करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने अपेक्षित होंगे। यदि चीनी कारखाना इस शर्त की अनुपालना करने में विफल रहता है तो यह मामला आगे आवश्यक कार्यवाही करने हेतु स्थाई समिति के समक्ष रखा जाएगा।
- च. प्रशासनिक अनुमोदन की वैधता 1 वर्ष (ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए) है और डेढ़ वर्ष (ग्रीन फील्ड पर परियोजनाओं के लिए) है।
- छ. **प्रशासनिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाना:** प्रशासनिक अनुमोदन की वैधता बढ़ाने का अनुरोध यदि उचित कारण के लिए वैधता अवधि के अंदर प्राप्त होता है तो इस पर समय अवधि बढ़ाने (तीन तीन माह की दो बार अवधि बढ़ाना) के लिए संयुक्त सचिव (शर्करा) के स्तर पर विचार किया जाएगा। संयुक्त सचिव (शर्करा) द्वारा ऐसी अवधि 2 बार बढ़ाए जाने के बाद यदि समय अवधि बढ़ाने हेतु आगे अनुरोध (अधिकतम 6 माह) प्राप्त

होता है तो इस पर सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के स्तर पर विचार किया जाएगा। ऐसी समय अवधि 1 वर्ष बढ़ाने के बाद यदि आगे समयावधि बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त होता है तो यह मामले स्थायी समिति के समक्ष रखे जाएंगे और स्थाई समिति के पास गुण-दोष आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर आगे समयावधि बढ़ाने की शक्ति होगी।

- ज. चीनी विकास निधि/भारत सरकार, नोडल एजेंसी (गैर-सहकारी क्षेत्र के लिए आईएफसीआई और सहकारी समितियों के लिए एनसीडीसी) के बीच त्रिपक्षीय करार निष्पादित किया जाता है। गन्ना विकास ऋण के मामले में त्रिपक्षीय करार एसडीएफ/भारत सरकार, राज्य सरकार और चीनी कारखाने के बीच निष्पादित किया जाता है।
- झ. चीनी कारखाने को चीनी विकास निधि ऋण की स्वीकृति के प्रति अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी के रूप में अथवा पारी पास प्रथम प्रभार आधार पर चीनी कारखाने की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बंधक के रूप में प्रतिभूति देनी होती है। यह प्रतिभूति ऋण की राशि और नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार पुनर्भुगतान की संपूर्ण अवधि के लिए इस पर ब्याज की राशि कवर करेगी। कुछ मामलों में चीनी उपक्रम राज्य सरकार की गारंटी के रूप में प्रतिभूति दे सकते हैं।
- ञ. यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त प्रतिभूतियां जमा कराई जाती हैं।
- ट. चीनी कारखाने को पी एफ एम एस वेबसाइट [<https://pfms.nic.in>] पर पंजीकृत कराना होता है।
- ठ. **ऋण का वितरण:** ऋण के संवितरण के लिए अनुरोध नोडल एजेंसियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत ऋण का संवितरण बजटीय उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।
- ड. उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना: चीनी कारखाना मंजूरी आदेश और संवितरण आदेश में निर्दिष्ट समय के अंदर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। जिन मामलों में किस्तों में ऋण का संवितरण किया जाता है उनमें चीनी कारखाना बाद की किस्तों के संवितरण के लिए पहले पिछली किस्त के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
- ढ. ऋण की राशि का वितरण चीनी कारखाने को उनके नो-लियन बैंक खाते में पीएफएमएस के जरिए किया जाएगा। चीनी कारखाना पीएफएमएस मॉड्यूल

के जरिए ऋण को खर्च/इसका उपयोग करेगा। उन्हें पीएफएमएस ईएटी माइयूल के जरिए भी उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- ण. एनसीडीसी और आईएफसीआई सरकार के साथ परामर्श करते हुए कानूनी कार्यवाही करने सहित ऋण के संवितरण, परियोजना के क्रियान्वयन की मानिट्रिंग ऋण की रिकवरी के लिए सरकार की नोडल एजेंसी/एजेंट के रूप में कार्य करता है। केंद्र सरकार इस प्रयोजन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में किसी अन्य कंपनी/संगठन को नामित कर सकती है।

## 8.2 अतिरिक्त प्रतिभूतियां

8.2.1 यदि किसी चीनी कारखाने की वित्तीय स्थिति कमजोर समझी जाती है तो चीनी विकास निधि ऋण हासिल करने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूतियां अपेक्षित होती हैं। यह प्रतिभूतियां ऊपर उल्लिखित प्रतिभूतियों (अर्थात सभी अचल और चल परिसंपत्तियों पर प्रथम पारीपासु प्रभार) के अतिरिक्त होती हैं। वित्तीय रूप से कमजोर कंपनियों/सहकारी समितियों के लिए मापदंड दिए गए हैं (संदर्भ: उपर्युक्त 7.1) अतिरिक्त प्रतिभूतियों की अपेक्षा का निर्णय प्रभार सृजन के समय किया जाएगा।

8.2.2 यदि चीनी कारखाने/उपक्रम/सहकारी समिति की वित्तीय स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त प्रतिभूति ली जानी होती है तो इसे लिया जाएगा [पीडीसी जमा नीचे बिंदु (ख) में उल्लिखित कोई दो]

- क. सभी मामलों में उधार लेने वाले चीनी कारखाने से मूलधन और ब्याज की वापसी के लिए पोस्ट डेटेड चेक हर हालत में लिए जाने होते हैं।
- ख. पोस्ट डेटेड चेक के अलावा चीनी कारखानों से निम्नलिखित प्रतिभूतियों में से कम से कम 2 ली जाएंगी:
- निजी चीनी कारखाने के मामले में प्रवर्तक की वैयक्तिक गारंटी और सहकारी चीनी कारखाने के मामले में अध्यक्ष की वैयक्तिक गारंटी।
  - स्वामित्व कंपनी की कारपोरेट गारंटी।
  - स्वामित्व गारंटी/उधारकर्ता कंपनी के सूचीबद्ध शेयरों की बंधकता।
  - स्वामित्व/उधारकर्ता कंपनी की सावधि जमा को सौंपा जाना।
  - तृतीय पक्ष परिसंपत्तियों की बंधकता अर्थात उधारकर्ता अथवा स्वामित्व/अनुषांगिक कंपनी की वैयक्तिक परिसंपत्तियां।

- ग. सहकारी समितियों के मामले में चूंकि ऊपर उल्लिखित अन्य प्रतिभूतियां लेना व्यवहार्य नहीं होगा इसलिए अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में केवल पोस्ट डेटेड चेक और अध्यक्ष की वैयक्तिक गारंटी ली जाएगी।
- घ. उपर्युक्त अतिरिक्त प्रतिभूतियों के अलावा इथेनॉल और सह उत्पादन परियोजनाओं के मामले में चीनी कारखानों/सहकारी समितियों, चीनी विकास निधि/एनसीडीसी/ आईएफसीआई और उस बैंक के बीच एसक्रो खाता करार निष्पादित किया जाएगा जिसमें सह उत्पादन/इथेनॉल परियोजनाओं से प्राप्त बिक्री की राशि जमा कराई जाएगी, जो चीनी विकास निधि ऋण के मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए होगी।

8.2.3 जिन मामलों में यह निर्णय लिया जाता है की बैंक गारंटी ली जाए उनमें उपर्युक्त अतिरिक्त प्रतिभूतियां प्राप्त नहीं की जाएंगी।

## 9.0 निर्धारित परिसंपत्ति कवरेज अनुपात (एफएसीआर)

9.1 एफएसीआर की गणना के दिशा निर्देश/सिद्धांत निम्नानुसार हैं:

9.1.1 चीनी विकास निधि ऋण की प्रतिभूति और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन हेतु निर्धारित परिसंपत्ति कवरेज अनुपात की गणना चीनी कारखाने और कंपनी के लिए निम्न तरीके से समग्र रूप से की जाती है:

एफएसीआर={बंधक रखी जाने वाली निर्धारित परिसंपत्तियों की कीमत (मौजूदा परिसंपत्तियां और परियोजना के अधीन सृजि की जाने वाली परिसंपत्तियां)} / {(मौजूदा ऋण\*\*\*\*\* विशिष्ट रूप से द्वितीय प्रभार, यदि कोई हो, के प्रति हासिल किए गए चीनी विकास निधि ऋण सहित बंधक रखे जाने के लिए प्रस्तावित परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार के प्रति हासिल किए गए चीनी विकास निधि ऋण सहित) + (प्रस्तावित परियोजना के लिए चीनी विकास निधि ऋण सहित ऋण)}।

9.1.2 इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तावित ऋण के अनुरूप प्रस्तावित परिसंपत्तियां परियोजना के लिए सृजित की गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियों का उपयोग उद्दिष्ट प्रयोजन के उपयोग के लिए किया गया है। चीनी विकास निधि ऋण की अंतिम किस्त (एकमुश्त अथवा दूसरी किस्त) के संवितरण के समय एफएसीआर की गणना निम्नलिखित तरीके से चीनी कारखाने और कंपनी के लिए समग्र रूप से की जाएगी:

एफएसीआर={बंधक रखी जाने वाली निर्धारित परिसंपत्तियों की कीमत + जमा सीडब्ल्यूआईपी, यदि कोई हो}/ {( मौजूदा ऋण\*\*\*\*\* विशिष्ट रूप से द्वितीय प्रभार, यदि कोई हो, के प्रति हासिल किए गए चीनी विकास निधि ऋण सहित परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार के प्रति हासिल किए गए) + (प्रस्तावित परियोजना के लिए चीनी विकास निधि ऋण सहित ऋण)}।

9.1.3 यदि इस प्रकार गणना किया गया एफएसीआर 1.33 के बेंचमार्क से कम है तो चीनी कारखाने से चीनी विकास निधि ऋण के प्रति प्रतिभूति के रूप में बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए कहा जाएगा।

[\*\*\*मौजूदा ऋण जो निर्धारित परिसंपत्तियों पर द्वितीय प्रभार के प्रति लिए गए हैं उन्हें नए ऋणों के लिए शामिल न किया जाए क्योंकि चीनी विकास निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार केवल प्रथम प्रभार लिया जा रहा है। तथापि विशिष्ट रूप से द्वितीय प्रभार के प्रति लिए गए चीनी विकास निधि के ऋण एफएसीआर की गणना में शामिल किए जाएंगे इसके अलावा यदि एफएसीआर की गणना द्वितीय प्रभार के साथ पिछले गुणों के लिए की जा रही है तो द्वितीय प्रभार के साथ लिए गए सभी ऋण शामिल किए जाएंगे।]

## 10.0 ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) की गणना:

10.1 डीएससीआर की गणना निम्न तरीके से की जाती है:

कर उपरांत निवल लाभ/हानि+मूल्यहास+ सावधि ऋण पर ब्याज+चीनी विकास निधि ऋणों पर ब्याज

डीएससीआर= -----

अदा किए जाने वाले ऋण अर्थात (बैंक/वित्तीय संस्थान से के लिए सावधि ऋण की अदायगी जमा चीनी विकास निधि ऋण की अदायगी जमा सावधि ऋण पर ब्याज जमा चीनी विकास निधि ऋण पर ब्याज)

10.2 अनुमानित डीएससीआर और पिछले 5 वर्षों के लिए औसत डीएससीआर कम से कम 1 होना चाहिए यदि पिछले 5 वर्षों के लिए औसत डीएससीआर बेंच मार्क 1 से कम है तो अतिरिक्त प्रतिभूतियां ली जाएंगी।

10.3 तथापि पिछले 5 वर्षों के लिए डीएससीआर नई चीनी कंपनियों के लिए लागू नहीं होता है जो ग्रीन फील्ड परियोजनाएं लगा रही हैं उक्त मामले में डीएससीआर पर भविष्य के लिए विचार किया जाता है जिसके लिए ऋण लिया जा रहा है।

## 11. चीनी विकास निधि ऋण के वितरण के मानदंड

11.1 किस्तों में चीनी विकास निधि ऋण के वितरण के मानदंड:

11.1.1 निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित ऋण के 50% तक चीनी विकास निधि के ऋण की प्रथम किस्त जारी की जाएगी (गन्ना विकास ऋण को छोड़कर सभी ऋणों के लिए):

- क) चीनी कारखाने द्वारा संयंत्र और मशीनरी के लिए आदेश देने पर।
- ख) प्रवर्तक की इक्विटी के पूर्ण निवेश/व्यय होने पर।
- ग) परियोजना के प्रत्यक्ष सत्यापन के उपरांत और संगत दस्तावेज अर्थात् लेखा परीक्षक/ चार्टर्ड इंजीनियर आदि का प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, आईएफसीआई/एनसीडीसी के आधार पर आईएफसीआई/एनसीडीसी चीनी विकास निधि की किस्त जारी करने के बारे में चीनी विकास निधि को संस्तुति करेगा।

11.1.2 अनुमोदित ऋण की दूसरी किस्त 50% निम्न शर्तों के अधीन जारी की जाए

- क) चीनी विकास निधि ऋण की प्रथम किस्त का उपयोग प्रमाण पत्र भेजने पर।
- ख) 75% तक प्रत्यक्ष और वित्तीय प्रगति अर्थात् परियोजना 75% पूर्ण होने और परियोजना लागत का कम से कम 75% खर्च होने के उपरांत।
- ग) परियोजना की संतोषजनक प्रगति के बारे में प्रत्यक्ष सत्यापन और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत होने के उपरांत तथा संगत दस्तावेज अर्थात् लेखा परीक्षक/ चार्टर्ड इंजीनियर आदि के प्रमाण पत्र के आधार पर, जैसा भी मामला हो, आईएफसीआई/एनसीडीसी चीनी विकास निधि की दूसरी किस्त जारी करने के बारे में चीनी विकास निधि को सिफारिश करेगा।

11.2 एक मुश्त आधार पर ऋण संवितरण के लिए मानदंड:

- क) यदि परियोजना का 90% कार्य पूर्ण हो जाता है तो चीनी विकास निधि ऋण एकमुश्त 100% संवितरित किया जाएगा;
- ख) परियोजना लागत का कम से कम 90% कुल व्यय हो जाता है;
- ग) परियोजना के प्रत्यक्ष सत्यापन और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत तथा संगत दस्तावेजों अर्थात् लेखा परीक्षक/चार्टर्ड इंजीनियर आदि के प्रमाण पत्र के

आधार पर, जैसा भी मामला हो, आईएफसीआई/एनसीडीसी चीनी विकास निधि ऋण की किस्त जारी करने के बारे में चीनी विकास निधि को सिफारिश करेगा।

11.3 गन्ना विकास के मामले में केवल दो किस्तों में ऋण वितरित किया जाएगा।

## 12.0 चीनी विकास निधि ऋण की अदायगी की समय अनुसूची

12.1 चीनी विकास निधि ऋण की अदायगी की समय अनुसूची निम्नानुसार है:

| स्कीम                  | अस्थगन अवधि                           | पुनर्भुगतान                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आधुनिकीकरण/<br>विस्तार | 1-3 वर्ष                              | ब्याज सहित ऋण की वसूली अर्धवार्षिक किस्तों में की जाएगी, जो 10 से अधिक नहीं होंगी। अदायगी की शुरुआत संस्थागत ऋण और पूर्ण ब्याज की अदायगी, भुगतान की तारीख से 1 वर्ष उपरांत अथवा संवितरण की तारीख से 3 वर्ष समाप्त होने पर, जो भी पहले हो,                                                               |
| गन्ना विकास            | मूलधन पर तीन वर्ष और ब्याज पर एक वर्ष | ब्याज सहित ऋण की अदायगी समान अर्धवार्षिक किस्तों में की जाएगी जिनकी संख्या 8 से अधिक नहीं होगी और ऋण पर ब्याज की अदायगी ऋण लेने की तारीख से अर्धवार्षिक रूप में की जाएगी भुगतान का प्रारंभ 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत (केवल मूलधन पर)                                                         |
| सह उत्पादन             | केवल मूलधन पर केवल तीन वर्ष           | ब्याज सहित ऋण की अदायगी अर्धवार्षिक किस्तों में की जाएगी जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी उक्त ऋण पर ब्याज की अदायगी ऋण के प्रत्येक संवितरण की तारीख से प्रथम 3 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से की जाएगी जिसके उपरांत इसकी अदायगी मूलधन की अदायगी की प्रथम की किस्त के साथ अर्धवार्षिक रूप से की जाएगी। |
| इथेनोल                 | एक वर्ष                               | ब्याज सहित ऋण की अदायगी अर्धवार्षिक किस्तों में की जाएगी जिनकी संख्या 8 से अधिक नहीं होगी अदायगी का प्रारंभ ऋण के प्रत्येक संवितरण की तारीख से 1 वर्ष समाप्त होने के बाद प्रारंभ होगी।                                                                                                                  |

### 13.0 चूक और रिकवरी

13.1 चीनी विकास निधि नियम 25 (यथा संशोधित) के अनुसार यदि ऋण की राशि के पुनर्भुगतान अथवा इसकी किसी किस्त के भुगतान या इस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक होती है, तो चूककर्ता चीनी कारखाने द्वारा चीनी विकास निधि ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज के अलावा 4% प्रतिवर्ष की दर (7 अगस्त 2020 से 4% की दर पूर्व में 6% की दर) लागू होगी।

13.2 यदि लगातार दो चूक होती हैं तो संपूर्ण राशि (शेष ऋण राशि जमा ब्याज जमा अतिरिक्त ब्याज) की वसूली प्रतिभूति से अथवा केंद्र सरकार के प्रति चीनी कारखाने उपक्रम के किसी दावे से की जाएगी। आईएफसीआई और एनसीडीसी कार्य निष्पादन तथा ऋण की रिकवरी की निगरानी करेंगे और चूक होने के मामले में ऋण की राशि प्राप्त करने की कानूनी कार्यवाही की निगरानी करेंगे।

13.3 ऋण अथवा उसकी किस्तों की अदायगी में लगातार दो चूक होने के मामले में केन्द्र सरकार चीनी विकास निधि ऋण नियमावली 1983 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 25 के अनुसार कार्यवाही शुरू कर सकती है।

### 14.0 प्रभार सौंपने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

14.1 चीनी विकास निधि ऋण प्राप्त करने के लिए सृजित प्रभार निम्नलिखित के अध्यक्षीन सौंप दिए जाते हैं:-

- क. चीनी विकास निधि द्वारा स्वीकृत ऋण के लिए उसके पास रखे प्रभार तब प्रस्तावित ऋणों के लिए उधारकर्ता के पक्ष में सौंप दिए जाते हैं जब यदि चीनी कारखाने और कंपनी समग्र रूप में दोनों का एफएसीआर प्रस्तावित ऋण को हिसाब में लेने के बाद भी चीनी विकास निधि द्वारा रखे गए प्रभार के लिए एफएसीआर के बेंचमार्क को समग्र रूप से पूरा करता है, जिसके लिए प्रभार सौंपने का प्रस्ताव है।
- ख. निगरानी एजेंसियों अर्थात् सहकारी चीनी कारखानों के लिए एनसीडीसी और प्राइवेट चीनी मिलों के संबंध में आई एफ सी आई की टिप्पणी/सिफारिशें प्राप्त की जाती हैं।
- ग. किसी चीनी कारखाने की वित्तीय स्थिति के बारे में कोई शंका होने के मामले में उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं, लाभ और हानि, डीएससीआर, आईआरआर तथा तुलन पत्र के संबंध में और सूचना प्राप्त की जाए।



- घ. चीनी विकास निधि का चीनी कारखाने की किसी वर्तमान परिसंपत्ति पर कोई प्रभार नहीं है और ऐसे मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं समझा जाता है।
- ङ. चीनी मिल और इसकी समूह यूनिटों का लेवी देयता, चीनी विकास निधि देयता और लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि देयता के संबंध में कोई देयता नहीं प्रमाण पत्र संबंधित प्राधिकारियों से मांगा जाएगा।
- च. समूह यूनिटों के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुरोध सहित ₹100 के स्टांप पेपर पर एक शपथ पत्र (संयंत्र कोड का उल्लेख करते हुए भी) मांगा जाएगा।
- छ. जिन मामलों में एफएसीआर 1.50 से कम है, उनमें चीनी कारखानों से कहा जाएगा कि वह मौजूदा चीनी विकास निधि ऋण की प्रतिभूति को बैंक गारंटी राज्य सरकार की गारंटी तक अपग्रेड करे।
- ज. यदि एफएसीआर 1.50 अथवा उससे अधिक है लेकिन चीनी कारखाना कमजोर वित्तीय श्रेणी (उपर्युक्त 7.1 के संदर्भ में) के अधीन आता है तो अतिरिक्त प्रतिभूतियां (उपर्युक्त 8.2 के संदर्भ में) प्राप्त की जाती हैं।
- झ. जिन मामलों में एफएसीआर 1.50 अथवा अधिक है लेकिन चीनी कारखाना 138 वीं स्थाई समिति द्वारा पहले से ही लिए गए निर्णय के मानदंड के अनुसार वित्तीय रूप से कमजोर नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन/सहमति के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

## 15.0 बेबाकी प्रमाण पत्र और प्रभार समाप्त करना

15.1 चीनी विकास निधि ऋण हासिल करने के लिए सृजित प्रभार निम्नलिखित शर्त के अधीन समाप्त किए जाते हैं:

- क. संपूर्ण बकाया ऋण ऋण की राशि की अदायगी लेखा नियंत्रक कार्यालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से सुनिश्चित की जाएगी।
- ख. निगरानी एजेंसियों अर्थात् सहकारी चीनी कारखानों के लिए एनसीडीसी और प्राइवेट चीनी मिलों के संबंध में आईएफसीआई की टिप्पणियां/सिफारिशें प्राप्त की जाती हैं।
- ग. संबंधित प्राधिकारियों से चीनी मिल और इसके समूह की यूनिटों के संबंध में लेवी देयता, चीनी विकास निधि देयता और लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि की देयता के संबंध में कोई देयता नहीं प्रमाण पत्र मांगा जाएगा।

घ. समूह यूनिटों के संबंध में कोई उपक्रम अनापत्ति के अनुरोध सहित ₹100 के स्टाम्प पेपर पर (जिसमें संयंत्र का कोड भी लिखा गया हो) एक शपथ पत्र मांगा जाएगा।

## अनुबंध-1

आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन, सह-उत्पादन, इथेनोल और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज परियोजनाओं के लिए चीनी विकास निधि ऋण मंजूर करने हेतु अपात्र मदों की उदाहरणार्थ सूची

| क्र.सं. | अपात्र मदें                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | जीएसटी/सीईएनवीएटी/कर क्रेडिट                                                                                                                                                                                                          |
| 2.      | अतिरिक्त कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी के प्रति मार्जिन राशि, प्रारंभिक और प्रचालन पूर्व के खर्च, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज, विविध निर्धारित परिसंपत्तियां, संयंत्र और मशीनरी उपकरणों को छोड़कर इंजीनियरिंग परामर्श                |
| 3.      | जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाना/पीएफ बकाया और ऋण दताओं की देयता आदि/प्रेयवेक्षण प्रभार                                                                                                                                                    |
| 4.      | उन मामलों में अतिरिक्त ऋण जिनमें इस आधार पर पहले ही मंजूरी जारी कर दी गई है कि खर्च की कुछ मदें जो अपात्र थीं लेकिन बाद में स्थायी समिति द्वारा पात्रता के दायरे में लायी गई हैं।                                                     |
| 5.      | 18 महीने की क्रियान्वयन अवधि के लिए आधुनिकीकरण हेतु संयंत्र और मशीनरी की लागत में पांच प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक लागत वृद्धि                                                                                                         |
| 6.      | नये स्थानों पर मशीनरी फाउंडेशन/स्थल का स्थानांतरण को छोड़कर ड्राइंग/भू-समतलीकरण और स्थल विकास/सड़क की फैशिंग और संबंधित मदे/आर्किटेक्ट की फीस                                                                                         |
| 7.      | अधिकारियों की डोरमीटरी/कार्यपालक के क्वाटर/आवसीय क्वाटर/कर्मचारी अथवा श्रमिकों के क्वाटर या गेस्ट हाउस/सुरक्षा पोस्ट/कंपाउंड दीवार/उत्पाद शुल्क कार्यालय/टाइम कार्यालय                                                                |
| 8.      | पुराने संयंत्र और मशीनरी की खरीद/डिस्मेंटलिंग और भंडारण खर्च/नियंत्रण खर्च/पुराने बॉयलर का स्थानांतरण                                                                                                                                 |
| 9.      | गन्ना कार्यालय/प्रयोगशाला/शौचालय/आराम कक्ष/नियंत्रण कक्ष से इतर एयर कंडीशनिंग और वेंटीनेशन प्रणाली/कामगारों की कैंटीन तथा किसानों के आराम कक्ष/सिविल निर्माण से भूमि की बाड़/ड्रेनेज/सिविल निर्माण कार्य से प्रशासन भवन/डीजी सैट कक्ष |
| 10.     | हल्के और भारी वाहन, फैक्ट्री सैड को छोड़कर लाइटिंग और प्रकाश, अतिरिक्त पुर्जे, नियंत्रण/मीटर कक्ष, बाड़, शीरा और अन्य स्लज पम्प                                                                                                       |
| 11.     | मौजूदा 2500 टीसीडी शर्करा संयंत्र की खरीद/10,000 टीसीडी से ऊपर के                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | विस्तार तत्व                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. | सामान्य भंडार/बोरी भंडार/वाटर गटर/डिस्टीलरी भंडार                                                                                                                                                                                              |
| 13. | विद्युत ग्रह भवन सिविल निर्माण, तौल सेतु सिविल निर्माण, बायोगैस सिविल और फाउंडेशन कार्य, मशीनरी फाउंडेशन को छोड़कर विविध फाउंडेशन, विविध ढांचा/यूटीलिटीज, विविध सिविल निर्माण, भंडार/कार्यशाला भवन, कार्यशाला उपकरणों को छोड़कर विविध परिवर्तन |
| 14. | कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और फिक्सचर, आईटी उपकरण, ईपीएबीएक्स सिस्टम आदि/संचार अथवा संयंत्र संचार प्रणाली/गलियारे और सीढ़ियां।                                                                                                                    |

टिप्पणी: चीनी विकास निधि ऋणों के बारे में और सूचना के लिए कृपया <https://sdfportal.in> देखें अथवा [sosdf.fpd@gov.in](mailto:sosdf.fpd@gov.in) पर संपर्क करें।

# SUGAR DEVELOPMENT FUND: INFORMATION BOOKLET

## Introduction

Under the Sugar Development Fund (SDF) Act, 1982, the SDF Rules, 1983 were framed which have been amended from time to time. The Sugar Development Fund consisted of the following:

- a) The amount of Sugar Cess collected under the Sugar Cess Act, 1982 (as amended);
- b) Money received by Central Government for purposes of SDF Act; and,
- c) Any income from investment of such amounts.

The Sugar Cess was abolished with the introduction of GST w.e.f. 01.07.2017. At present, all fund requirements, including loan disbursed, are being met directly from the Consolidated Fund of India as per budgetary provisions each year.

## 2.0 Schemes

Under the Sugar Development Fund Act, 1982 and the Sugar Development Fund Rules, 1983 (as amended), loans are provided to a Sugar Factory for following five schemes:

- a) Modernisation/Rehabilitation (Rule 16 and 16A).
- b) Cane Development (Rule 17 and 17A).
- c) Production of Anhydrous Alcohol or Ethanol from alcohol or from molasses (Rule 22).
- d) Conversion of existing plant to Zero Liquid Discharge plant (Rule 22A).
- e) Bagasse-Based Co-generation power projects (Rule 23).

SDF Loans are not available for working capital, creation of current assets or refinancing of a loan availed by the Sugar Factory.

### 2.1.1 General Eligibility Conditions

A Sugar Factory shall fulfil the following conditions for availing an SDF loan:

- a) No loan for the same purpose can be given during the period in which a previous loan for the same purpose is outstanding.
- b) The sugar factory will be required to contribute a minimum of 10% of the loan applied for from its own resources as promoter's contribution/margin money.
- c) A sugar factory/undertaking which is a defaulter in respect of any dues on account of Sugar Development Fund (SDF), Levy dues, and Levy Sugar Price Equalization Fund (LSPEF) will not be eligible to apply for SDF loan.
- d) The sugar factory shall not be eligible to apply for a loan [for Modernisation, Bagasse based co-generation, Production of Ethanol form Alcohol or Molasses, and conversion of existing plant to Zero Liquid Discharge plant] for the following purposes:
  - i. Procurement of second-hand equipment & machinery.
  - ii. Refinancing.
  - iii. Financing of cost overruns.

- iv. Project commissioned before the date of application under these rules.

### **2.1.2 Modernisation/Rehabilitation: Specific Eligibility Conditions**

Under the SDF Rules, 1983 (Rule 16 and 16A), a loan is provided for facilitating the modernisation of any sugar factory or any unit thereof. Conditions governing loans for modernisation are as follows:

- a) The project should be approved by a scheduled bank/financial institution for assistance for modernisation.
- b) The loan amount will not exceed the amount required by the bank/financial institution to be contributed by the sugar undertaking as the promoter's contribution.
- c) In the case of application for loan for integrated project i.e., expansion of capacity along with cogeneration or ethanol project, expansion of project only up to 5000 TCD would be funded for getting the desired raw material/ achieving economic viability. However, application for the project for setting up/ expansion of capacity of bagasse-based cogeneration project or ethanol would be processed provided it is possible to segregate the cost of cogeneration/ ethanol project from capacity expansion.

### **2.1.3 Cane Development: Specific Eligibility Conditions**

Under the SDF Rules, 1983 (Rule 17 and 17A), a loan is provided to a sugar factory for the development of sugarcane in the area in which the sugar factory is situated. SDF loan is provided to a sugar factory **on the recommendation of the concerned State Government** for one or more of the following purposes:

- a) Setting up of Heat Treatment Plant.
- b) Rearing of Seed Nurseries
- c) Irrigation Schemes (Drip Irrigation only)

The conditions governing loans for cane development are as follows:

- a) The Loan application is to be submitted to the State Government in which the sugar factory is located. The State Government may, after scrutiny of the application, forward the same along with its comments and recommendations to the Director (SDF).
- b) The existing limit of loan amount under this scheme is ₹ 540 lakhs (90% of a maximum project cost of ₹ 600 lakhs).

### **2.1.4 Production of Anhydrous Alcohol or Ethanol from Alcohol or Molasses: Specific Eligibility Conditions**

Under the SDF Rules, 1983 (Rule 22), a loan is provided to a sugar factory having an installed capacity of 2500 TCD or higher for the production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol or molasses to improve its viability. Conditions governing loans for anhydrous alcohol or ethanol from alcohol or molasses are as follows:

- a) The project should be approved by a scheduled bank/financial institution for assistance for financial assistance for the production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol.
- b) Further, modernisation-cum-expansion project integrated with cogeneration plant or ethanol plant of any sugar factory of an undertaking having an installed capacity of less than 2500 tones Crushed Per Day but not less than 1250 tones are also eligible, subject to following conditions:
  - i. The application for such project is submitted to a bank or financial institution by the sugar factory.
  - ii. In every such project, the appraising authority of the bank or financial institution certifies that the project submitted by the sugar factory is financially viable for such sugar factory of capacity less than 2500 TCD.
  - iii. Such project shall be technically appraised by the National Sugar Institute, Kanpur or any other institute recognised by the Central Government and it has certified that the project is technically viable.
  - iv. State Government guarantee is furnished by the sugar factory or sugar undertaking for Sugar Development Fund loan.

#### **2.1.5 Conversion of existing Ethanol Plant into Zero Liquid Discharge (ZLD): Specific Eligibility Conditions**

Under the SDF Rules, 1983 (Section 22A), a loan is provided to a sugar factory having an installed capacity of 2500 TCD or higher for the conversion of existing ethanol plant into Zero Liquid Discharge (ZLD) plant by installing the required plant and machinery. Conditions governing loans are the same as the scheme for Production of Anhydrous Alcohol or Ethanol from Alcohol or Molasses. Further, modernisation-cum-expansion project integrated with cogeneration plant or ethanol plant of any sugar factory of an undertaking having an installed capacity of less than 2500 tones Crushed Per Day but not less than 1250 tones are also eligible, subject to conditions mentioned in Para 2.3.3 (b) above.

#### **2.1.6 Bagasse based Co-Generation Power Project: Specific Eligibility Conditions**

Under the SDF Rules, 1983 (Rule 23), a loan is provided to a sugar factory having an installed capacity of 2500 TCD or higher to implement a project of bagasse-based co-generation of power. Conditions governing loans for bagasse-based co-generation power project are as follows:

- a) The sugar factory should have an installed capacity of 2500 TCD or higher.
- b) The project should be approved by a scheduled bank/financial institution for assistance for bagasse-based co-generation power project.
- c) The project should envisage a marketable surplus of cogenerated power.
- d) Greenfield projects for co-generation of power can also be financed from SDF to the extent of exportable surplus. However, the funds will be released only after the sugar factory starts production of sugar.
- e) Further, modernisation-cum-expansion project integrated with cogeneration plant or ethanol plant of any sugar factory of an undertaking having an installed capacity of less than

2500 tones Crushed Per Day but not less than 1250 tones are also eligible, subject to conditions mentioned in Para 2.3.3 (b) above.

### **3. Check List for SDF Loans**

3.1 The following conditions should also be fulfilled for all loan schemes under the SDF Act 1982:

- a) Applications should be submitted online through SDF Portal (<https://sdfportal.in>).
- b) There should not be any outstanding Levy Dues (as per records of Directorate of Sugar), SDF Dues or LSPEF Dues.
- c) The applications should be submitted along with basic documents and additional information in the prescribed format. If an application is received without any of the requisite documents, the application will be returned.

3.2.1 Scheme wise basic documents required at the time of submission of applications for SDF loans are the following:

#### **A. Modernisation/Rehabilitation:**

- a) Application Form-II with its annexure-I & II.
- b) Detailed Project Report (DPR) with technical feasibility report.
- c) Financial Appraisal Report by a Scheduled Bank/Financial Institution (FI).
- d) Sanction letters (Letter of Intent) issued by Scheduled Bank/FI (English/Hindi).
- e) Acknowledgements issued by competent authority for applying for NOC from Pollution Control Board (PCB) and Environment Impact Assessment (EIA) clearance.

#### **B. Sugar Cane Development Scheme:**

- a) Application Form -III.
- b) Scheme/Project Document.
- c) Recommendation of the State Government and the letter of the State Government forwarding all the documents.

#### **C. Setting up bagasse-based co-generation power project:**

- a) Application Form-VIII with its annexure.
- b) Detailed Project Report (DPR) with technical feasibility report.
- c) Financial Appraisal Report prepared by Scheduled Bank/FI.
- d) Sanction letters (Letter of Intent) issued by Scheduled Bank/FI (English/Hindi).
- e) Acknowledgements issued by competent authority for applying for NOC from PCB and EIA clearance.
- f) Power Purchase Agreement (PPA) with concerned State Governments, if any.

#### **D. Setting up anhydrous alcohol or ethanol plant from alcohol or molasses:**

- a) Application Form-VII with its annexure.
- b) Detailed Project Report (DPR) with technical feasibility report.
- c) Financial Appraisal Report prepared by Scheduled Bank/FI



- d) Sanction letters (Letter of Intent) issued by Scheduled Bank/FI (English/Hindi).
- e) Acknowledgements issued by competent authority for applying for NOC from PCB and EIA clearance.

#### **E. Conversion of existing ethanol plant into ZLD:**

- a) Application Form-VIIA with its annexure.
- b) Detailed Project Report (DPR) with technical feasibility report.
- c) Financial Appraisal Report prepared by Scheduled Bank/FI.
- d) Sanction letters (Letter of Intent) issued by Scheduled Bank/FI (English/Hindi version).
- e) Acknowledgements issued by competent authority for applying for NOC from PCB and EIA clearance.

### **4 Rate of Interest for SDF Loans**

- 4.1 The SDF loans carry a concessional rate of interest of 2% below the Bank Rate (as amended from time to time). Rate of interest at the time of disbursement remains fixed and do not change with the change in bank rate. Bank rate is considered on the date of disbursement of the loan. Rate of interest may change in case of restructured loans. In case of any default in repayment of the amount of loan or payment of any instalment thereof or interest thereon, an additional interest, over and above the interest charged for SDF loan, at the rate of 4% per annum (@4% w.e.f 07.08.2020; earlier @6%) will be payable by the defaulting sugar factory. The rate of additional interest may change without prior notice as per the decision of the Central Government.

### **5 Funding Pattern**

- 5.1 The typical funding pattern of SDF loans for all types of loans (except Cane Development Loan) for Brownfield project, is as per following funding pattern:
- a) Scheduled Bank/Financial Institution – 50% of the total project cost.
  - b) Promoters' contribution – 10% of the total project cost.
  - c) SDF component – 40% of the eligible project cost.
- 5.2 However, where the owner's contribution/ equity is increased beyond 10%, there will be a corresponding decrease in the SDF loan component. In respect of **Greenfield projects** for Co-generation and Ethanol Projects, the SDF contribution is 20% of the eligible project cost.
- 5.3 In respect of Cane Development, the provisions are as follows:
- a) SDF: 90% of the total cost of the scheme subject to a maximum project cost of ₹600 lakhs.
  - b) Sugar Undertaking: Minimum of 10% of the total cost of the scheme.

### **6 Calculation of the Eligible Amount of SDF Loan:**

#### **6.1 Modernization / Rehabilitation Loans**

- 6.1.1 Initially, the eligible project cost is calculated by deducting the cost of ineligible items from the Total Project Cost. (Refer to Section 0 below)

6.1.2 The total eligible loan amount is the lowest of the estimated loan amount of the following three cases:

| <b>As per eligible Project Cost</b>                                                   | <b>Amount of loan Sought by the Sugar undertaking</b>        | <b>As per the percentage of Promoters Contribution</b>                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SDF loan is 40% of the eligible project cost (20% in the case of Greenfield projects) | The total amount of loan requested by the Sugar undertaking. | Promoters contribution as per actual is calculated based on the eligible cost. The excess of Promoters contribution is deducted out of the SDF loan component (40% in case of Brownfield and 20 % in the case of Greenfield). |

## 6.2 Cane Development Loan

6.2.1 The total eligible loan amount is the lowest of the estimated loan amount of the following two cases:

| <b>As per eligible Project Cost</b>                                                   | <b>As per the quantum limits</b>                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 90% of the total cost of the scheme subject to a maximum project cost of ₹ 6.00 crore | The total loan amount is calculated as per the quantum limits mentioned below. |

| <b>Sl. No.</b> | <b>Scheme</b>                                              | <b>Financial Limit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Setting up of Heat Treatment Plant                         | 2.50 lakh                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2              | Rearing of Seed Nurseries                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | a) Foundation seed through Convention Sugarcane Sets       | <p>First year: At the rate of ₹30,000.00 per ha subject to a maximum of 5 ha.</p> <p>Second year: At the rate of ₹30,000.00 per ha with multiplication factor of 8 for Northern States and 10 for Southern States.</p>                                                                                                |
|                | b) Rearing of Seed Nurseries from Tissue Culture Plantlets | <p>First year: At the rate of ₹80,000.00 per ha subject to a maximum of 2 ha.</p> <p>Second year: At the rate of ₹80,000.00 per ha with multiplication factor of 40.</p> <p>Seeds shall be procured from the Government recognised institutions – VIS, Pune, SBI, Coimbatore, Universities, and their affiliates.</p> |
|                | c) Certified Seed                                          | ₹26,000.00 per ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

SDF letter 1-8/2007-SDF dated 26.05.2009.

## 6.3 Ethanol and Zero Liquid Discharge Loans

6.3.1 Initially, the eligible project cost is calculated by deducting the cost of ineligible items from the Total Project Cost.[Refer to Section 0 below]

**6.4** The total eligible loan amount is the lowest of the estimated loan amount of the three cases mentioned above at Para 6.2.2.**Co-generation Loans:**

6.4.1 Initially, the eligible project cost is calculated by deducting the cost of ineligible items constituting the Total Project Cost. (Refer to Section 0 below)

6.4.2 The total eligible loan amount is the lowest of the estimated loan amount of the following four cases:

| As per eligible Project Cost                                                          | As per Normative Project Cost                 | Amount of loan Sought by the Sugar undertaking                                                                            | As per the percentage of Promoters Contribution                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SDF loan is 40% of the eligible project cost (20% in the case of Greenfield projects) | As per normative cost per MW mentioned below. | The total amount of loan requested by the Sugar undertaking (after adjusting the CENVAT credit in proportion to SDF loan) | Promoters contribution as per actual is calculated based on the eligible cost. The excess of Promoters contribution is deducted out of the SDF loan component (40% in the case of Brownfield and 20 % in the case of Greenfield). |

| Boiler Pressure (ata) | Normative Cost per MW Generation (₹ lakh/MW) |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Below 67              | Not Eligible                                 |
| 67 to 86              | 385.00                                       |
| 87 to 109             | 442.00                                       |
| 110 and above         | 543.00                                       |

*SDF letter 7-14/2015-SDF dated 23.02.2016.*

6.5 An illustrative list of ineligible items for grant of SDF loans for Modernisation/Expansion, Cogeneration, Ethanol and ZLD projects is placed as Annexure I.

## **7 Evaluation Criteria for SDF Loans:**

7.1 General criteria for SDF loans for schemes under Rule 16, 16A, 17, 17A, 22, 22A and 23 are as under:

- a) The cooperative society or the firm should either have plant code for the sugar factory or have applied for the IEM No. In the case of Greenfield projects, the loan will be disbursed only on the allotment of plant code and the start of sugar production in the factory.
- b) No levy sugar dues, LSPEF dues and SDF dues are outstanding.
- c) No loans are outstanding under the same rules of SDF. Two loans for one sugar factory under the same rule at one point of time will not be sanctioned.
- d) Detailed Project Report (DPR) of the project confirms unconditionally that the project is technically and financially viable. Due justification for the projected

physical and financial parameters should be given and should be comparable with industry standards.

- e) Clearance Certificate from the respective Pollution Control Board and EIA clearance must be applied for. The clearance certificate must be submitted before disbursement of the loan amount.
- f) All the assets including land, building, plant & machinery etc. which are to be mortgaged need to be free from litigation and the sugar factory/undertaking must have clear title to the asset.
- g) The sugar factory/undertaking should not be financially weak. For provisions of loans for financially weak sugar factories/undertaking, please refer Para 8.2 below. In other words, the SF should not be having any of the following financial constraints:
  - i. Profit after Tax (PAT) is negative in any of the last three years.
  - ii. Net Worth is negative in any year during the preceding 3 years for the sugar factory or company as a whole.
  - iii. Retained earnings are negative at the time of charge creation or at any other point of time as per extant rules/guidelines/requirement.
  - iv. Average Debt Service Coverage Ratio (DSCR) for the last five years should be more than 1.0.
  - v. Fixed Asset Coverage Ratio (FACR) of the SF and Sugar Undertaking as a whole should be more than 1.33. [Refer to Section 9 below].
  - vi. Compliance with the financial laws and the Companies Act, 2013 (as amended) or the Co-operative Societies Act as the case may be.
  - vii. Any other factor reflecting the financial status of the Sugar Factory/undertaking.

## **8 Procedure for granting SDF loan**

8.1 Broadly, the procedure for granting SDF Loan is as follows:

- a) Application for a loan complete in all aspects will be submitted by the Applicant firm on the SDF Portal (<https://sdfportal.in>).
- b) The SDF Division will scrutinise the loan application for its completeness and basic compliance with the established parameters.
- c) The loan application will be considered by the Sub-Committee/Screening Committee (for cane development loan applications) chaired by the Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution (DFPD), Government of India. The committee shall meet at least once in each quarter of a year, if applications are there to be considered.
- d) The recommendations of the Sub Committee/Screening Committee are considered by the Standing Committee chaired by the Secretary, DFPD. The committee shall meet at least once in each quarter of a year, if applications are there to be considered. The recommendations are placed for approval of the competent authority.

- e) **Administrative Approval (AA)** of the sanction communicated to the concerned Sugar Factory. In all such cases (wherein conditions are set by Standing Committee for issuing of AA), a time limit of six months, from issuing of minutes of Standing Committee, will be permitted within which the sugar factory is required to submit the documents required for issuing of AA as per minutes. If a sugar factory fails to comply with the conditions, the case will be placed before the Standing Committee for further necessary action in the matter.
- f) The AA is valid for one year (for Brownfield projects) and one and a half year (for Greenfield projects).
- g) **Extension of validity of Administrative Approval:** Request for an extension of validity of AA, received within validity period for justifiable reasons, will be considered at the level of the Joint Secretary (Sugar) for granting an extension (two extensions of three months each). After two such extensions granted by the Joint Secretary (Sugar), a further request for an extension (maximum six months) will be considered at the level of Secretary(F&PD). After giving one year of such extension, in cases wherein the further extension is requested, the cases are placed before the Standing Committee, and the Standing Committee will have the power to grant a further extension on case-to-case basis on merits of the case.
- h) Tripartite Agreement among SDF/Gol, Nodal Agency (IFCI for the non-cooperative sector and NCDC for Co-operative Societies) is executed. In the case of Cane Development loans, the Tripartite Agreement is executed between SDF/Gol, the State Government, and the Sugar Factory.
- i) The Sugar Factory has to furnish security against the Sanctioned SDF loan either in the form of Bank Guarantee from a scheduled bank or a mortgage on all immovable and movable properties of the sugar factory on pari-passu first charge basis. The security shall cover the amount of loan and interest thereon for the full period of repayment as provided in the Rules. In certain cases, a sugar undertaking can furnish the security in the form of a State Government Guarantee.
- j) Additional securities are furnished if required.
- k) The sugar factory has to register on the PFMS website (<https://pfms.nic.in/>).
- l) **Disbursement of Loan:** Request for the disbursement of the loan is submitted through Nodal Agencies. After approval of the Competent Authority, disbursement of the loan is made as per budget availability.
- m) **Furnishing of Utilisation Certificate (UC):** The sugar factory shall furnish a UC with the time specified in the Sanction order and Disbursement order. In cases where the loan has been disbursed in instalments, the sugar factory should submit the UC for the previous instalment before the disbursement of subsequent instalments.
- n) The loan amount will be disbursed to a sugar factory, through PFMS, into their no-lien bank account. The sugar factory shall make expenditure / utilise the loan through PFMS-EAT module. They shall also submit the UC through PFMS-EAT module.
- o) NCDC & IFCI act as a Nodal Agency/Agent to the Government for disbursement of loans, monitoring of the implementation of projects, recovery of a loan including legal proceedings in consultation with Government. The Central Government may nominate any other company/organisation as Nodal Agency for this purpose.

## 8.2 Additional securities:

- 8.2.1 Additional securities are required for securing SDF loans in cases where the financials of the sugar factory are considered weak. These securities are in addition to security mentioned above (i.e., 1st pari-passu charge on all immovable and movable assets). Criteria for financially weak companies/co-operative societies are given in (Refer to Section 7.1 above). The requirement of Additional securities will be decided at the time of the creation of charge.
- 8.2.2 In case additional securities are to be obtained in view of the financial position of the sugar factory/undertaking/society, three additional securities shall be obtained (PDC + Any two mentioned at point (b) below):
- a) Post Dated Cheques (PDCs) for repayment of Principal and Interest of Borrower SF shall be obtained invariably in all cases.
  - b) Besides PDCs, at least two of the following securities shall be obtained from the Sugar Factory:
    - i. Personal Guarantee of Promoters in respect of private sugar factories and Personal Guarantee of the Chairman in respect of Co-operative Sugar Factory.
    - ii. Corporate Guarantee of Holding Company.
    - iii. Pledge of company's listed shares of Holding Company/Borrower
    - iv. Assignment of Fixed Deposits of Holding/Borrower Company.
    - v. Mortgage of third-party assets viz. personal properties of the borrower or holding/Subsidiary Company.
  - c) In the case of the Co-operatives, since it would not be feasible to obtain other securities mentioned above, only PDCs and Personal Guarantee of the Chairman shall be obtained as additional securities.
  - d) Besides above additional securities, in case of Ethanol and Cogeneration projects, ESCROW Account Agreement shall be executed amongst Sugar Factories/Societies, SDF/NCDC/IFCI and the Bank in which sale proceeds of Co-generation/Ethanol projects are deposited for repayment of principal and interest of the SDF loan.
- 8.2.3 In cases where it is decided to obtain a bank guarantee, the above additional securities shall not be obtained.

## **9 Fixed Assets Coverage Ratio (FACR)**

9.1 Guidelines/Principles of calculation of FACR are as follows:

9.1.1 Fixed Assets Coverage Ratio (FACR) for the purpose of security of SDF loans, and the issue of NOC is calculated for the Sugar Factory and Company as a whole in the following manner:

$$\text{FACR} = \frac{\{\text{Value of fixed assets to be mortgaged (existing assets and assets to be created under the project)}\}}{\{(\text{Existing loans}^{***} \text{ secured against the first charge on the assets proposed to be mortgaged including SDF loans secured against the exclusive second charge if any}) + (\text{loans for the proposed project including SDF loan})\}}$$

9.1.2 Further, to ensure that the proposed assets corresponding to the proposed loans have been created for the project and to ensure that the funds have been utilised for the intended purpose, FACR at the time of disbursement of final instalment (Lump sum or 2nd instalment) of SDF loan is calculated for the Sugar Factory and Company as a whole in the following manner:

FACR= {Value of fixed assets mortgaged + CWIP, if any} / {(Existing Loans\*\*\* secured against the first charge on the assets including SDF loans secured against the exclusive second charge if any) + (Loans for the proposed project including SDF loan)}.

9.1.3 In case of FACR thus calculated is less than the benchmark of 1.33, the Sugar factory will be asked to provide a Bank Guarantee as a security against the SDF loan.

*(\*\*\* Existing Secured Loans which are secured against the 2nd charge on the fixed assets may not be included for new loans as the only 1st charge is being taken as per current SDF guidelines. However, SDF loans secured against 2nd Exclusive charge will be included in the calculation of FACR. Further, if FACR is being calculated for earlier loans with 2nd charge, then all secured loans with the 2nd charge will also be included.)*

## 10 Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

10.1 DSCR is calculated in the following manner:

$$DSCR = \frac{\text{Net Profit/Loss after tax + Depreciation + Interest on Term Loans + Interest on SDF Loans}}{\text{Debt to be serviced i.e. (Term loan repayment from Banks/FI + SDF loan repayment + Interest on Term loan + Interest on SDF loan)}}$$

10.2 The projected DSCR and average DSCR for the past 5 years should be at least 1. In case, Average DSCR for past 5 years is less than benchmark of one, additional securities shall be obtained.

10.3 However, DSCR for the past 5 years is not applicable for new sugar companies which are putting up a Greenfield project. In that case DSCR is considered for the future for which the loan is availed.

## 11 Norms for Disbursement of SDF Loans

11.1 Norms for Disbursal of SDF Loan in Instalments:

11.1.1 1<sup>st</sup> instalment of the SDF loan up to 50% of the approved loan will be released subject to the following (for all loans except Cane Development loan):

- a) Placement of orders for plant and machinery by the sugar factory.
- b) Complete investment/expenditure of the promoters' equity.
- c) After physical verification of the project and on the basis of relevant documents, i.e. certificate of the auditor/ Chartered Engineer etc., as the case may be, IFCI/NCDC will recommend to SDF regarding the release of the SDF loan instalment.

11.1.2 2<sup>nd</sup> instalment / 50% of the approved loan may be released subject to following conditions:

- a) Furnishing of Utilisation Certificate of the 1<sup>st</sup> instalment of the SDF loan.
- b) Physical and financial progress of 75% i.e. completion of 75% of the project and after incurring an expenditure of at least 75% of the project cost.
- c) After physical verification and submission of progress report regarding satisfactory progress of the project and on the basis of relevant documents, i.e., certificate of the auditor/ Chartered Engineer etc., as the case may be, IFCI/NCDC will recommend to SDF regarding the release of the second SDF loan instalment.

11.2 Norms for disbursement of loans on Lump-sum basis:

- a) 100% of the SDF loan to be disbursed if 90% work of the project has been completed;
- b) Total expenditure incurred is at least 90% of the project cost;
- c) After physical verification and submission of progress report of the project and based on relevant documents, i.e., certificate of the auditor/ Chartered Engineer etc., as the case may be, IFCI/NCDC will recommend to SDF regarding the release of the SDF loan.

11.3 In the case of Cane Development, the loan will be disbursed only in two instalments.

## 12 Repayment Schedule of SDF loans

12.1 Repayment Schedule of SDF loans is as follows:

| Scheme                      | Moratorium                                            | Repayment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modernisation/<br>Expansion | 1-3years                                              | The loan along with interest shall be recoverable in half-yearly instalments not exceeding ten.<br>Commencement of repayment: after one year from the date of repayment/ payment of the institutional loan and interest in full or on the expiry of 3 years from the date of disbursement, whichever earlier.                               |
| Cane<br>Development         | 3years on<br>Principal<br>and one year<br>on Interest | The loan along with interest shall be repaid in equal half-yearly instalments not exceeding eight in number, and the interest on the loan shall be paid half-yearly from the date of drawl of loan.<br>Commencement of repayment: after the expiry of a moratorium of 3 years (only on principal).                                          |
| Co-generation               | 3years on<br>Principal only                           | The loan along with interest shall be repaid in half-yearly instalments not exceeding ten in number. The interest on the said loan shall be paid half-yearly for the first three years from the date of each disbursement of the loan after which it shall be paid half-yearly along with the instalment of the repayment of the principal. |
| Ethanol                     | 1 year                                                | The loan along with interest shall be repaid in half-yearly instalments not exceeding eight in number.                                                                                                                                                                                                                                      |



|  |  |                                                                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Commencement of repayment: after the expiry of one year reckoned from the date of each disbursement of the loan. |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 13 Default and Recovery

13.1 As per the SDF Rule 25 (as amended), in case of any default in repayment of the amount of loan or payment of any instalment thereof or interest thereon, an additional interest, over and above the interest charged for SDF loan, at the rate of 4% per annum (@4% w.e.f. 07.08.2020; earlier @6%) will be payable by the defaulting sugar factory.

13.2 In the case of two consecutive defaults – entire amount (balance loan amount + interest + additional interest) will be realised from the security or any claim of the Sugar factory/undertaking against the Central Government. IFCI & NCDC will monitor the performance and recovery of loans as well as legal proceedings to realise the loan amount in case of default.

13.3 *In case of two consecutive defaults in repayment of the loan or instalment thereof, the Central Government may initiate proceedings as per Rule 25 of the SDF Rules 1983 (as amended from time to time).*

### 14 NOC for ceding of charge

14.1 The charge, created to secure the SDF loan, is ceded subject to the following: -

- a) Charge held by SDF for loans granted by it can be ceded in favour of lender for the proposed loans if the FACR, both of the sugar factory and the company as a whole meet the FACR benchmarks for charge held by SDF even after taking into account the proposed loan for which the charge is proposed to be ceded.
- b) Comments/recommendations of the monitoring agencies, i.e., NCDC for cooperative sugar factories and IFCI in respect of private sugar mill, are obtained.
- c) In case of any doubt about the financial health of any sugar factory, further information on their assets & liabilities, profit & loss, DSCR, IRR and balance sheet may be obtained.
- d) SDF does not have any of charge on current assets of a sugar factory, and no NOC is considered necessary in such cases.
- e) A “No Dues Certificate” in respect of Levy Dues, SDF Dues and LSPEF Dues of sugar mill as well as its group units will be sought from the concerned authorities.
- f) An Undertaking in respect of Group Units, on Rs. 100 Stamp Paper (also mentioning the plant code) along with the request of NOC will be sought.
- g) In cases, wherein, FACR is below 1.50, sugar factories will be asked to upgrade the security of existing SDF loans to Bank Guarantee/State Govt. Guarantee.
- h) In cases, wherein, FACR is 1.50 or above, but the sugar factory comes under weak financial category (Refer to Section 7.1 above) additional securities (Refer to Section 8.2 above) are obtained.
- i) In cases, wherein, FACR is 1.50 or above, but the sugar factory is not financially weak as per criteria already decided by 138<sup>th</sup> Standing Committee; NOC may be issued with the approval/concurrence of the competent authority.

## **15 No Dues Certificate and Vacation of Charge**

15.1 The charge, created to secure the SDF loan, is vacated subject to the following: -

- a) Repayment of the entire outstanding amount of a loan(s) will be ascertained from the Chief Controller of Accounts, Department of Food and Public Distribution.
- b) Comments/recommendations of the monitoring/nodal agencies, i.e. NCDC for cooperative sugar factories and IFCI in respect of other than cooperative sector sugar mills are obtained.
- c) A 'No Dues Certificate' (NOC) in respect of Levy Dues, SDF Dues and LSPEF Dues of sugar mill as well as its group units will be sought from the concerned authorities.
- d) An Undertaking in respect of Group Units, on Rs. 100 Stamp Paper (also mentioning the plant code) along with the request of NDC will be sought.

**Illustrative list of ineligible items for grant of SDF loans for Modernisation/Rehabilitation,  
Cogeneration, Ethanol and ZLD projects**

| Sl. No. | Ineligible Items                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | GST/CENVAT/Tax credit                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.      | Additional working capital, Margin money towards working capital, Preliminary and Pre-operative expenses, Interest during construction period, Miscellaneous fixed assets, Engineering consultancy except for plant & machinery equipment        |
| 3.      | Rationalization of manpower/PF arrears and pressing creditors' dues etc./ Supervision charges                                                                                                                                                    |
| 4.      | Additional loan in the cases where sanction had already been issued on the ground that certain items of expenditure which were ineligible earlier had subsequently been brought within the fold of eligibility by the Standing Committee         |
| 5.      | Cost of escalation beyond 5% p.a. of the cost of the plant and machinery meant for modernization for the period of implementation of 18 months.                                                                                                  |
| 6.      | Drawings/Land Levelling and Site Development/ Road fencing and related items/ Architect fee except for machinery foundations/ Shifting of site to the new location                                                                               |
| 7.      | Officers Dormitory/Executive Quarters/Residential Quarters/Staff or Labour Quarters or Guest Houses/Security Posts/ Compound wall/Excise office/ Time Office                                                                                     |
| 8.      | Purchase of old plant and machinery/ Dismantling and storage expenses/Control Room Shifting of old boiler                                                                                                                                        |
| 9.      | Cane Office/Laboratory/Toilets/Restrooms/ Air conditioning & ventilation system other than control rooms/ Workers canteen and farmers restrooms/ Earthly fencing from Civil work/ Drainages/Admin buildings from Civil works/DG Set Rooms        |
| 10.     | Light and Heavy vehicles, Lighting & illumination other than factory shed, Spares, Control/Meter room, Fencing, Molasses & other sludge pumps                                                                                                    |
| 11.     | Purchasing of existing 2500 TCD sugar plant/ Expansion component above 10,000 TCD                                                                                                                                                                |
| 12.     | General store/ Gunny Bag store/Water gutter/ Distillery stores                                                                                                                                                                                   |
| 13.     | Powerhouse building civil work, weigh bridge civil works, Biogas civil & foundation work, Miscellaneous foundations except machinery foundations, Miscellaneous Structure/ utilities, Misc. civil works, Stores/workshop building, Miscellaneous |

|     |                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | modifications other than workshop equipment                                                                                           |
| 14. | Office equipment, furniture & fixtures, IT Equipment, EPABX system etc./Communication or Plant Communication System/Gallery & ladders |

**Note: For further information regarding SDF Loans, please visit <https://sdfportal.in> or contact us at [sosdf.fpd@gov.in](mailto:sosdf.fpd@gov.in).**

**Contact Address:**

**Sugar Development Fund**

**Room No.475-B**

**Department of Food & Public Distribution**

**Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution**

**Krishi Bhawan, New Delhi – 110001.**

**Tele.No.011 – 23386707 / Email : [sosdf.fpd@nic.in](mailto:sosdf.fpd@nic.in)**